

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुझुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीएसएम न. 2012/00654

मुकदमा नम्बर 94/2012

दायर दिनांक-11.05.2012

1. नेमीचन्द पुत्र मांगूराम जाति माली निवासी वार्ड नं. 26 दरोगा की ढाणी तन नवलगढ़ तहसील नवलगढ़

..... वादी

1. नथमल पुत्र मांगूराम
2. सोहनलाल पुत्र मांगूराम
3. विमल कुमार पुत्र मांगूराम
4. राधेश्याम पुत्र मांगूराम
5. गीता देवी पुत्री मांगूराम
6. उषा देवी पुत्री मांगूराम
7. बिदामी देवी पत्नी मांगूराम
8. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र बोदूराम
9. दुर्गादेवी पुत्री बोदूराम
10. भंवरी देवी पुत्री बोदूराम
11. महावीर प्रसाद पुत्र भगवाना
12. बनवारीलाल दत्तक पुत्र रामकुमार
 - 13/1 चिरंजीलाल पुत्र हरदेवाराम
 - 13/2 रामचन्द्र पुत्र हरदेवाराम
 - 13/3 ताराचन्द पुत्र हरदेवाराम
 - 13/4 नानादेवी पत्नी हरदेवाराम
 - 13/5 लच्छी देवी पुत्री हरदेवाराम
 - 13/6 प्रभाती देवी पुत्री हरदेवाराम
 - 13/7 बिमला देवी पुत्री हरदेवाराम
 - 13/8 सोनू पुत्र भंवरलाल पौत्र हरदेवाराम
 - 13/9 रोहित पुत्र भंवरलाल पौत्र हरदेवाराम
 - 13/10 कंचन पुत्री भंवरलाल पौत्री हरदेवाराम
 - 13/11 सुलोचना पुत्री भंवरलाल पौत्री हरदेवाराम
 - 13/12 पूनम पुत्री भंवरलाल पौत्री हरदेवाराम
 - 13/13 सुशीला देवी पत्नी भंवरलाल
14. मोतीलाल पुत्र मुरली
15. पतासी देवी पुत्री मुरली
16. सुशीला देवी पुत्री मुरली समस्त जाति माली निवासीगण वार्ड नं. 26 दरोगावाली ढाणी तन नवलगढ़ तहसील नवलगढ़
17. लैण्डहॉल्डर जरिये तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुझुनू

.....प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी

नवलगढ़

दावा बाबत इस्तकार हक, दुरुस्ती रिकार्ड, विभाजन

प्रतिनिधित्व:-

वकीलवादी- श्री अशोक जांगिड़

वकील प्रतिवादी सं. 1 लगा. 10,12- श्री रमाकान्त गोड़ (जवाब इकबालिया)

वकील प्रतिवादी सं. 11,13/1 लगा. 13/13 तथा 14 लगा. 16:- श्री अमरसिंह शेखावत

प्रतिवादी सं. 17:- एक पक्षीय

:-निर्णय:-

निर्णय दिनांक 04.06.2025

वाद वादी दिनांक 28/09/2022 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया गया था तथा तहसीलदार नवलगढ़ को मौका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक प्राथमिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया था। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक भू.अ./2025/6791 दिनांक 24/03/2025 द्वारा प्रस्तुत किया गया। वकील उभय पक्ष द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई। विभाजन प्रस्ताव न्यायोचित होने से वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। सुलभ संदर्भ हेतु प्राथमिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ए मय नजरी नक्शा उक्त निर्णय का भाग होगा।

तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड दुरुस्त कर आवश्यक अमलदरामद करे। राजस्थान लैंड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 04.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(जयसिंह)RAS

उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़

जिला- झुझुनू

(ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ
श्री जय सिंह (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

जीएसएम न. 2012/00654
मुकदमा नम्बर 94/2012

दायर दिनांक-11.05.2012

(नेमीचन्द बनाम नथमल वगै0)
दावा बाबत् इस्तकार हक, दुरुस्ती रिकार्ड, विभाजन

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू श्री जय सिंह (आर0ए0एस0), उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब- मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

वाद वादी दिनांक 28/09/2022 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया गया था तथा तहसीलदार नवलगढ को मौका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक प्राथमिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी मे कब्जे काशत के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत् आदेशित किया गया था। तहसीलदार नवलगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक भू.अ./2025/6791 दिनांक 24/03/2025 द्वारा प्रस्तुत किया गया। वकील उभय पक्ष द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई। विभाजन प्रस्ताव न्यायोचित होने से वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। सुलभ संदर्भ हेतु प्राथमिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ए मय नजरी नक्शा उक्त निर्णय का भाग होगा।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड दुरुस्त कर आवश्यक अमलदरामद करे। राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

जन.....-..... मुबलिंग.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....-..... फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक-.....का अदा करे।

बस्वत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 04 माह 06 सन 2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	1.00	स्टाम्प वकालतनामा	2.00
स्टाम्प वजह सबूत	-	स्टाम्प अर्जी	-
महनताना वकील	-	महनताना वकील	-
खर्चा गवाहान	-	खर्चा गवाहान	-
फीस कमिश्नर	-	फीस कमिश्नर	-
बाबत इजराय हुक्मनामा	-	बाबत इजराय हुक्मनामा	-
मुतफरिक मिजान	0.00	मुतफरिक मिजान	0.00